भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 792565

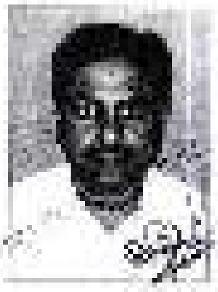

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हरलपुर सोनली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–151,
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.7743 हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 792587

- 2 -

प्रथम पक्ष की संख्या-01 द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
श्रीमती सुधा द्विवेदी पत्नी मनोज द्विवेदी, निवासिनी-2/14, पत्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ।	अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगासहाय सिंह, वर्तमान पता-तृतीय तल, वाई.एम.सी.ए. बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: रु0 17,22,864/-
11.	मालियत	: रु0 6,22,900/-
12.	स्टाम्प	: रु0 1,20,600/-

चौहद्दी

खसरा का ...

पूरब	: खसरा संख्या-152, 153, 154, 155
पश्चिम	: खसरा संख्या-150
उत्तर	: खसरा संख्या-152, 164, 165
दक्षिण	खसरा संख्या-148, 149

Ansal Properties & Infrastructure Limited

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 370968

-2-

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अन्तर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 26/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेता को अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु भूमि विक्रेता को रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

[illegible] 798746

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] पत्र

मैं श्रीमती [illegible] पत्नी [illegible] निवासिनी-[illegible], [illegible] अलीगंज, लखनऊ [illegible] शपथपूर्वक कहती हूँ कि :-

1. मैं अपनी भूमि खसरा संख्या-151 रकबा 0.5230 हेक्टेयर का [illegible] भाग यानि रकबा [illegible] हेक्टेयर स्थित-ग्राम- [illegible], तहसील व जिला लखनऊ को [illegible] लिमिटेड द्वारा श्री [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह [illegible] के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.12.2010 को द्वारा हस्तांतरित कर चुकी हूँ अत: उक्त भूमि पर मेरा कोई स्वत्व, अधिकार व कब्जा शेष न रहने के कारण मैं भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में क्रेता के विरुद्ध एवं भूमि अर्जन कार्यवाही के विरुद्ध कोई [illegible] नहीं करूंगा।
2. यह कि मैं पुनः शपथपूर्वक कहता हूँ कि उक्त विक्रीत भूमि के अधिकार वापस पाने हेतु कोई दावा नहीं करूंगा।

लखनऊ

दिनांक 24.12.2010

गवाहान

1. [handwritten signature and address]

2.

विक्रेता

10000 रु. Rs.10000

INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

008175

29 OCT 20[illegible]

- 4 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख श्रीमती सुधा द्विवेदी पत्नी मनोज द्विवेदी, निवासिनी-134, पद्मलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ जिसे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगापाल सिंह, वर्तमान पता-तृतीय तल, वाईएमसीए बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता वर्तमान खाता खतौनी क्रम संख्या-00251 फसली वर्ष 1413 से 1418 के कृषि भूमि खसरा

Ansal Properties & Infrastructure Limited

Auth.

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये TEN THOUSAND RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

009179

29 OCT 20..

संख्या–151 रकबा 0.5230 हेक्टेयर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.1743 हेक्टेयर स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक कामिल व काबिज है, जो कि विक्रेता को [redacted] प्राप्त हुई है, तथा कार्यालय सत्यापित षट्वार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या –00251 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अन्तर दरामद हो चुका है।

विक्रेता की भूमि में 4–5 फिट गहरे गड्ढे है अथवा भूमि कृषि योग्य नहीं है। भूमि पर पहुँचने का रास्ता भी नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH 4K 778399

के अन्तर्गत व अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो सभी किस्म, ऋणभार, इकरारनामा, कुर्की, व जमानत आदि से प्रभावित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एंव अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अतः एतद्द्वारा खुद विक्रेता के अपनी आराजी उक्त उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एंव अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी दावा व हक के खुद होश व सन्तुष्टकर बिना किसी दबाव के, बअवज मुबलिग रू० 17,22,084/- (रुपया सत्रह लाख बाईस

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये
रु.50

FIFTY RUPEES
Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Y 255079

हजार चौरासी मात्र) मैं उपरोक्त क्रेता से वसूल पाई लिया. और कुल विक्रय धनराशी नकद बतहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी मजकुर पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का कराई मजूरी करा दिया. अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी मजकुरा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे. और अगर आराजी मजकूरा कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या सही विक्रय, हिबा, रहनभार.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 343794

कुर्की व जमानत आदि से बाधित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत अराजी के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें।

[illegible] Limited

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 343795

आराजी उपरोक्त में कृषि कार्य होता है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआँ व इमारत आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम हसनपुर खोखरी, परगना–बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के निर्दिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 20,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि भाग 0.0743 हेक्टेअर की मालियत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

343796

रू0 5,22,900/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर अंकित स्टाम्प शुल्क 1,20,600/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुलतानपुर रोड से 1 किमी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

यह कि भूमि अधिग्रहित हो जाने की दशा में अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH R 343798

द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई वाद/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा। विक्रेता की ओर से प्रस्तुत विक्रय विलेख तस्दीकशुदा मुख्तारेआम श्री पवन पाठक प्रस्तुत की। उक्त तस्दीकशुदा मुख्तारनामा दिनांक 27.01.2009 को बही संख्या 4, जिल्द संख्या-1, के पृष्ठ संख्या 107/114, क्रमांक 4 पर कार्यालय उपनिबन्धक सदर, लखनऊ में पंजीकृत है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 343600

यह कि उपर प्रयोग किये गये शब्दों ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

विवरण भुगतान

1. रू0 17,22,084/- (रूपया सत्रह लाख बाईस हजार चौरासी मात्र) द्वारा चैक संख्या- 204393, दिनांकित 24.12.2010 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 17,22,084/- (रूपया सत्रह लाख बाईस हजार चौरासी मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

[illegible]

[illegible] 2-5212

[illegible] 24/12-2012

[illegible] D.P.I.L

[illegible] 2-10-[illegible]

[illegible]

सार[illegible]?

1,722,64?.00	523,000.00	13,300.00	40	10,640.00	2,000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible] 24/12/2012 [illegible]

[illegible]

[illegible]

पी. के. सिंह?

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

24/12/2012

[illegible]

श्री? [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] बालमुकुंद?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पी. के. सिंह

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

24/12/2012

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

अतः आज उभय पक्षो ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट: पृष्ठ संख्या-13 पर नेक संख्या काले पेन से लिखी गई है।

दिनांक: 24.12.2010

लखनऊ

गवाहान:-

1. [illegible]

विक्रेता

Ansal Properties & Infrastructure Limited

2. [illegible]

क्रेता

PAN- AAACA0006D

टाईपकर्ता:

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:

(मयंक श्रीवास्तव)

एडवोकेट,

[illegible]

Registration No. : 20115 Year : 2012 Book No. : 1

D101 [illegible]
:
[illegible]

[illegible]

[illegible]

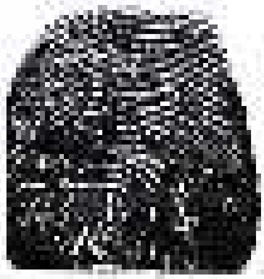

नक्शा नजरी

खसरा सं० – 257

ग्राम – [illegible]

विक्रेता – [illegible]

क्रेता – [illegible]

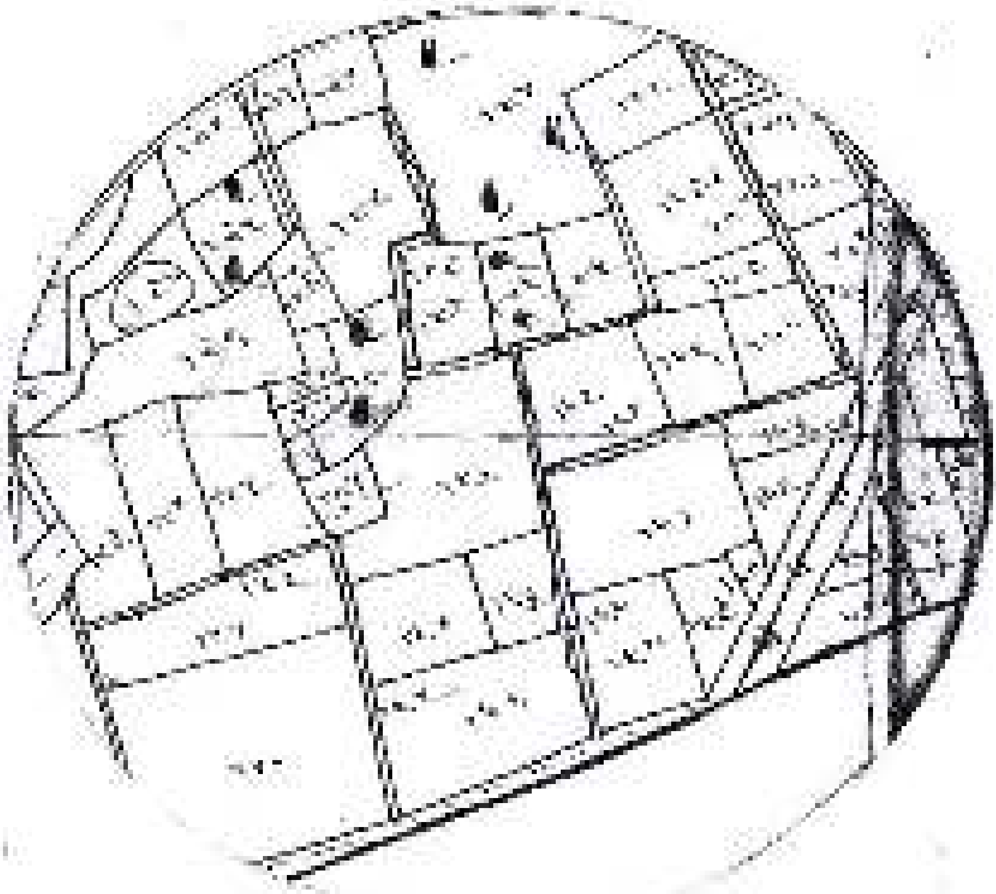

विक्रेता

क्रेता

Anjali [illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स्

विक्रेता का नाम व पता:- श्रीमती सुषमा द्विवेदी पत्नी मनोज द्विवेदी, निवासिनी-254, [illegible] कालोनी, अलीगंज, लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

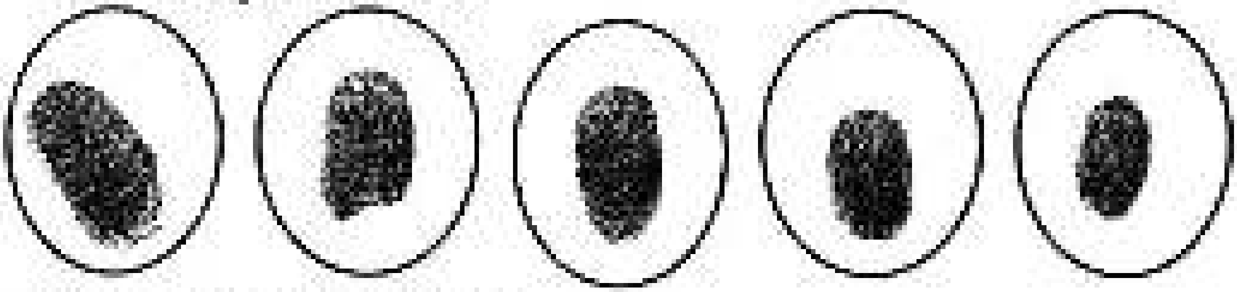

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

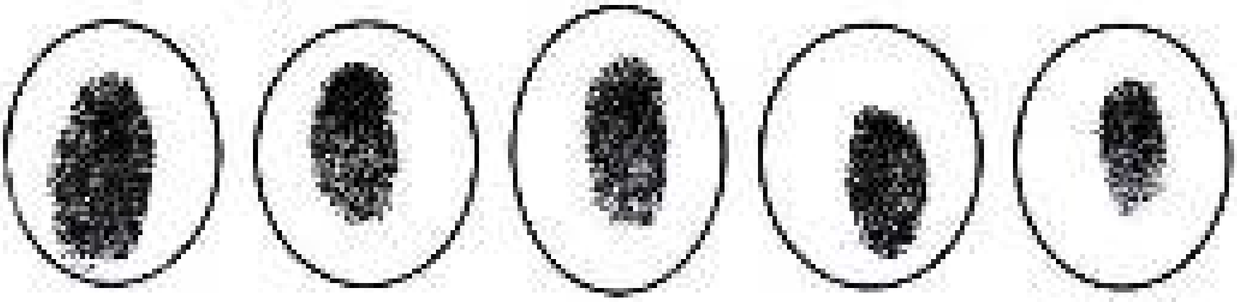

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री गंगापति सिंह, वर्तमान पता-तृतीय तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

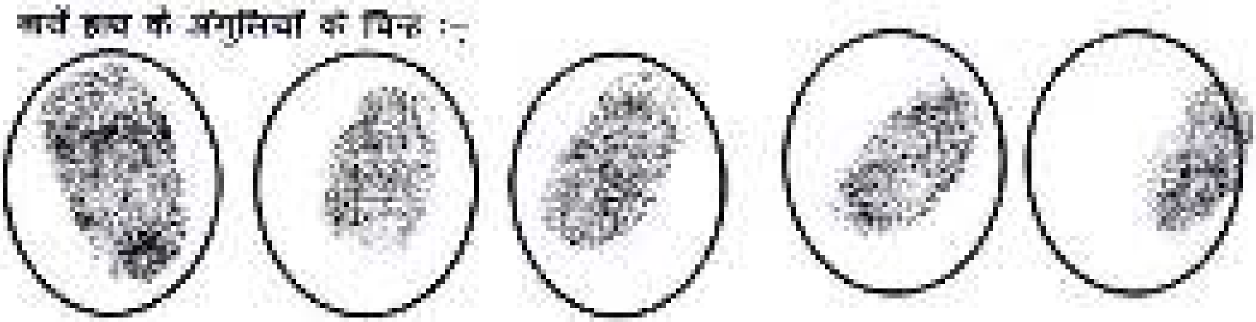

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

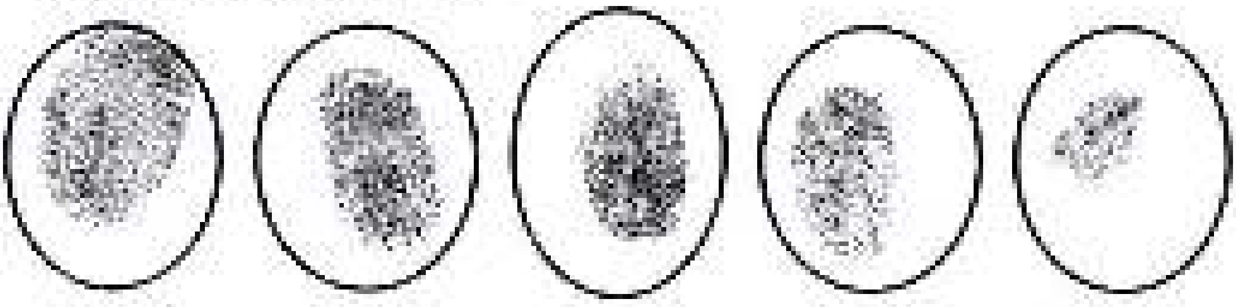

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 24/12/2010 को

बही सं 1 जिल्द सं 12250

पृष्ठ सं 43 से 74 पर क्रमांक 20118

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी .के.सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

24/12/2010